भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AD 261415

समर सोशल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी
ग्राम - पिपरा बाबू (रमपुरवा चौराहा) पो० व तह० महराजगंज
जनपद महराजगंज फाइल नं० जी-54844
रजिस्टर्ड के साथ संलग्न।

कार्यालय सहायक निबन्धक क्षेत्रीय समितियाँ
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

06/07/17

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AD 261416

यह अनुरक्षित स्टाम्प पत्र समर सोशल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी ग्राम - पिपरा बाबू (रमपुरवां-चौराहा) पो० व जि० महराजगंज महराजगंज फाइल नं० जी - 54844 नियमावली के साथ संलग्न है।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक समितियाँ ★ सत्यमेव जयते ★ उत्तर प्रदेश गोरखपुर

06/07/17

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : **समर सोशल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी**
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम –पिपरा बाबु (रमपुरवॉ चौराहा) पोस्ट व तहसील–महराजगंज जिला–महराजगंज (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के अन्य उद्देश्य

अन्य उद्देश्य

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संस्था के माध्यम से शिक्षा के विकास के लिए हिन्दी , अंग्रेजी,संस्कृत , उर्दू ,अरबी, उर्दू विद्यालयों की स्थापना करना तथा प्राथमिक स्तर, जूनियर हाईस्कूल ,माध्यमिक इण्टरमीडिएट एवं महाविद्यालय एवं उच्च स्तर की शिक्षा का संचालन करना एवं विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कन्या महाविद्यालय की स्थापना करना ।
2. वन एवं पर्यावरण संरक्षण तथा वन के अन्दर एवं बाहर बसने वाले गाँवों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान और वन्य जीवों का अध्ययन एवं संरक्षण करना।
3. समाज के अल्पसंख्यक ,पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की बालक–बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण, तकनीकी व इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, इलेक्ट्रानिक ,इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, साफ्टवेयर, स्क्रीन प्रिटिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डी0टी0पी0, सिलाई कढ़ाई,बुनाई पैन्टिग, फ्ल संरक्षण रेक्सीन कला, गृह सज्जा ,अचार मुरब्बा ,माचिस ,पत्तल, अगरत्ती ,मसाला ब्यूटी पार्लर एवं सौन्दर्य प्रशिक्षण केन्द्र, आदि की जानकारी देना।
4. खादी ग्रामोद्योग ,खादी कमीशन बोर्ड, कुटीर उद्योग, हथकरघा हथकरघा ,हस्तशिल्प, कला चमड़ा उद्योग रेक्सीन कला, नारी कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ,खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का सफल बनाने का प्रयास करना ।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल ,नाली ,सीवर की व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों सहित अन्य क्षेत्रों की सफाई का कार्य करवाना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार –प्रसार करना तथा आवास बनवाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन –यापन करने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करना।
6. समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना। नाट्यमंच व चलचित्र द्वारा लोगो को शिक्षा के बारे में निःशुल्क ज्ञान करवाना।
7. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा ,शिक्षा गारण्टी योजना शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना एवं सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0यस0सी0 व यू0पी0 बोर्ड के नियमानुसार अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।
8. संस्थान में प्राकृतिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से छात्र जीविका निर्वाह की समस्या स्वतः समाधान कर सके।
9. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए आश्रम बनवाना।
10. ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलाओं को साक्षर बनाना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

11. विकलांग बालक एंव बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना ,निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करवाना।
12. संस्था के माध्यम से सामान्य ,दलित एवं पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना।
13. कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रचार--प्रसार करना, आधुनिकतम विकसित तरीके से कृषि,दुग्ध विकास के क्षेत्र में जानकारी देना।
14. औषधि कार्यो के लिए जड़ी बुटियों ,जैविक खेती के बारे में लोगो की जानकारी देना व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रम के द्वारा जैविक खातों एवं ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना , जेट्रोफा के पौधे से डीजल बनाने के बारे में लोगो को जानकारी देना व जेट्रोफा के पौधों की खेती करना।
15. परिवार कल्याण कार्यक्रमों एंव स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गॉवों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करना ,टीकाकरण जैसे पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस, फाइलेरिया, मलेरिया, क्षय रेाग, एड्स ,कैसर ,टी0वी0 ,धमार्थ डिस्पेन्सरी कुछ क्षेत्रीय बीमारियेां के रोकथाम के लिए प्रचार व प्रसार करना व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना व रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण को जानकारी मुहैया करना तथा होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक से सम्बन्धित दवाओं एवं जानकारियो का निःशुल्क सुविधा मुहैया कराना। जनस्वास्थ्य हेतु योग केन्द्रों को खुलवाना, वैदिक संस्कृत पर आधारित "आयुर्वेद" जो सनातन की चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है। उसका प्रशिक्षण करवाना व आयुर्वेद को जन–जन तक पहुॅचाना
16. कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड के कार्यो व कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रसार प्रचार करना।
17. समाज में व्याप्त छूआछुत, ऊॅच–नीच तथा जाति धर्म की विषमता को निर्मूल करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना।
18. शराब व मादक पदार्थो का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करना और उन कार्यक्रमों को सफल बनाना।
19. पर्यावरण को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एंव इस पर शोघ कार्य करना।
20. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एंव प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संस्था के माध्यम से उच्च तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।
22. जल संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र एवं जल संसाधन तथा स्वजलधारा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना एवं जल प्रदूषण के खिलाफ गोष्ठी, शोध केन्द्रो की स्थापना करना।
23. नदियों में गन्दें नालों तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिए सम्बन्धित विभागों की अनुमति प्राप्त करना । छोटे पोखरों एवं तालाबों के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करना। मछली पालन का कार्य करना।
24. देवी आपदा, बाढ़ भूकम्प, सूखा ,हैजा, प्लेग जैसी विभिन्न बीमारियें ,महामारी व विभिन्न से सेवा करना।
25. संरक्षित जीव जन्तुओं व पशु पक्षियों का संरक्षण करना व उनके अवैध शिकार पर रोक लगाना तथा जीवजन्तु के काटने के बाद दवा का वितरण करना।

Samsher Ali
सादिक
रहिसुन
शाहजहां
Ibrahim Ali
Sheraj Khan
Shatrudhan Kumargiri

कार्यालय सहायक निबन्धक ... क्षेत्रीय ... सत्यमेव जयते ... उत्तर प्रदेश गोरखपुर

क्रमशः.....................3

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

26. जानवरों के चारागाह हेतु नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना ,तथा जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सके व गो–सेवा व गौशाला की मान्यता के अनुसार कार्य करना।

27. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय ,ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा उ0 प्र0 सरकार ,समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण बोर्ड, कपार्ट,नवार्ड, सिफ्सा ,सिडनी, यूनिसेफ व भारत सरकार एवं अन्य राज्यों व सरकारों और विदेशी संगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना।

28. जीव जन्तुओं के प्राकृतिक निवास स्थलों को नष्ट होने से बचाना तथा उनको क्षति पहुँचाने वालो से बचाना।

29. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक--बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय, अनाथालय हास्टल का प्रबन्ध करना।

30. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गॉवों एवं शहरों में अभिरूचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरष्कृत करना तथा पार्को की व्यवस्था करना तथा उच्चस्तरीय खेलकुद जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, बालीबाल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिन्टन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

31. वन सम्प्रदा के दोहन को रोकने को प्रोत्साहित करना पर्यावरणीय गुणो के बारे में जानकारी देना।

32. बेरोजगारी दूर करने की नियत से महिलाओं एवं पुरुषों को कम्प्यूटर सम्बन्धित कार्य तथा आचार, मुरब्बा, बिस्कुट, नमकीन,केक, अगरबत्ती ,माचिस पत्तल, पापड़ जैम जैली बनाने का प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना।

33. दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना, हस्तशिल्पियों का विकास करना एवं हस्तशिल्यिों एंव ग्रामीण कारीगरों हेतु कुशल प्रशिक्षण देना।

34. बाल विकास एवं बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आई0एल0ओ0 यूनोडो,,सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिसेफ एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एंव सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कंधे से कंधा मिलाकर योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना एंव मानव संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना। महापुरूषों की जयन्ती पर प्रकाश डालना व उनकी जयन्ती को भव्य आयोजन के माध्यम से मनाना।

35. फूलों एंव फलों की खेती तथा बागवानी बोर्ड एवं पेड, पौधों से सम्बन्धित जानकारी जन मानस तक पहुँचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना। गॉव के नागरिको को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराने हेतु ग्रामसभा में प्राथमिक.स्वास्थ्य केन्द्र हेतु प्रयास करना।

36. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना एवं विज्ञान भवनों की स्थापना करना। संस्था के माध्यम से नदियों को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध जल से युक्त कराना।

37. विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय आश्रम, पद्धति विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।

38. आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्यूनिटी हाल, बारातघर, वृद्धांश्रम, महिलाश्रम, अनाथालय, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, धमार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियों रात्रि निवास. शीत गृह का निर्माण व संचालन , शार्ट स्टे होम, मूक बधिर ,कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना,फिल्म धारावाहिक के माध्यम से समाज को स्वच्छ मनोरंजन प्रदान करना ।

39 स्वयं सहायता समूह का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी करना एवं स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना एवं वेश्यावृत्ति को रोकना तथा रेडलाईट क्षेत्रों में जागरूकता का प्रचार–प्रसार करना साथ ही वेश्याओं को एड्स से सम्बन्धित चिकित्सकीय जानकारी देना तथा वेश्याओं में सामाजिक चेतना का संचार करना उनके जीवन स्तर में नैतिक सुधार स्वास्थ्य सुधार करना तथा उन्हें शिक्षित करना।

40. डेयरी उद्योग की स्थापना करना तथा बेरोजगार युवकों, युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण की स्थापना करना।

41. मदरसे का संचालन दर्ज तहतानिया (प्राइमरी) से लगायत दर्जा आलिया (हाईस्कूल) स्तर के मदरसों का संचालन करना।

42. जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के बारे में व्यक्तियों को जागरूक करना।

43. अल्पसंख्यक मुस्लिमों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसों की स्थापना करना।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

5. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता तथा जिसको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौपा गया है।

क्र.सं. नाम पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. श्री समशेर अली पुत्र श्री मो0 सद्दीक अली	ग्राम व पोस्ट–करमहॉ जिला–महराजगंज	अध्यक्ष	व्यवसाय
2. सद्दीक पुत्र श्री मोहम्मद	ग्राम व पोस्ट–करमहॉ जिला–महराजगंज	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
3. श्रीमती रहीसुन पत्नी श्री सद्दीक	ग्राम व पोस्ट–करमहॉ जिला–महराजगंज	प्रबन्धक/सचिव	गृहिणी
4. इब्राहिम अली पुत्र श्री रहमतुल्लाह	ग्राम व पोस्ट–करमहॉ जिला–महराजगंज	उपप्रबन्धक/उपसचिव	समाजसेवा
5. श्री शाहजहॉ पुत्र श्री शमेशर अली	ग्राम व पोस्ट–करमहॉ जिला–महराजगंज	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
6. शेराज खान पुत्र श्री मुराद खान	ग्राम –बड़हरा रानी पोस्ट व जिला–महराजगंज	सदस्य	समाजसेवा
7. शत्रुधन कुमार गिरि पुत्र श्री छोटेलाल गिरि	ग्राम व पोस्ट–करमहॉ जिला–महराजगंज	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजि0 21 सन् 1860 के अन्तर्गत सोसायटीज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है।

दिनांक – 24/06/17

हस्ताक्षर

Samsher Ali
सादिक
रहिसुन
शाहजहाँ
Ibrahim Ali
Sheraj Khan
Shatrudhan Kumar Giri

सहायक निबन्धक कार्यालय ... उत्तर प्रदेश गोरखपुर
सत्यमेव जयते

सत्य – प्रतिलिपि
06/07/17
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता 06-7-17

नियमावली

1. संस्था का नाम : **समर सोशल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी**

2. संस्था का पूरा पता : ग्राम –पिपरा बाबु (रमपुरवॉ चौराहा) पोस्ट व तहसील–महराजगंज जिला–महराजगंज (उ0प्र0)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग –

आजीवन सदस्य –

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 1001/– नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

विशिष्ट सदस्य –

समिति के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति 1001/– वार्षिक सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा।

सामान्य सदस्य–

जो व्यक्ति संस्था को 101/–रूपया नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य माना जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति –

(1) किसी सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर।
(2) पागल या दिवालिया होने पर।
(3) संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
(4) त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर।
(5) कमेटी द्वारा पारित नियमों के पालन न करने पर।
(6) दण्डित होने पर।
(7) सदस्यता शुल्क न देने पर।
(8) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
(9) पद का दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता करने पर।

Samsher Ali
सादिक
रहिसुन
Ebrahim Ali

6. संस्था के निम्न अंग होंगे –

अ)–साधारण सभा ब)– प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा –

अ–गठन – संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर

क्रमशः.....................2

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स,सोसाइटीज एवं चिट्स

ब). बैठक – साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

स). सूचना अवधि– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी।

द) गणपूर्ति – साधारण सभा की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा।

य). विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि – साधारण सभा की बैठक में वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार हेागा।

र). साधारण सभा के कर्तव्य –

1. प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया गया गत वर्षो का आय–व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष के लिए व्यय की संस्तुति प्रदान करना।
3. आय–व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना।
4. संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना।
5. सदस्यों को त्यागपत्र स्वीकृत करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।
6. समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति गुप्त मतदान के द्वारा करायेगी।

Samsher Ali

सादिक

रहिस्तुन

8. प्रबन्धकारिणी समिति –

अ). **गठन –** प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा तथा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 5 पदाधिकारी एवं 2 सदस्य होंगे और कुल की संख्या 7 की होगी।

Ibrahim Ali

(ब). **बैठक–** प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी। विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे पूर्व बुलायी जा सकती है।

द). **सूचना अवधि –** प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व , विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगी।

य). **गणपूर्ति –** प्रबन्ध समिति के बैठक में गणपूर्ति 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

र). **रिक्त स्थानों की पूर्ति –** रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होगी।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य –

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ,सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं ग्रामोद्योग/ राष्ट्रीयकृत बैक/वित्तीय संस्था, व्यक्ति/ व्यक्तियों से चन्दा, दान, उपहार ऋण व अनुदान, प्राप्त करना।

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

<u>कार्यकाल</u> – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से पॉच वर्ष का होगा।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

<u>अध्यक्ष</u> –

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना तथा सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का रख–रखाव करना।
3. कर्मचारियों के कार्यो का निरीक्षण करना।
4. किसी भी सदस्य के आरोप सिद्ध होने पर सदस्यता से वंचित करना।
5. बिलों एवं बाउचरों को हस्ताक्षर करना।
6. वर्ष के अन्त में आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना एवं उसे प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
7. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों का रख–रखाव करना।
8. खर्चे के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना तथा हिसाब–किताब से सम्बन्धित कैश बुक, आदि लिखना।
9. सदस्यों द्वारा गलत कार्य करने पर उन्हें दण्डित करना।
10. सदस्यों से चन्दा लेना व उनको रसीद काटकर देने का अधिकार अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष द्वारा जारी की गयी रसीदें ही मान्य होगी।
11. उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी ,गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा, दान, ऋण,अनुदान प्राप्त करना।
12. संस्था से सम्बन्घित समस्त मुकदमों की पैरवी करना व कार्यवाही रजिस्टर अपने पास रखना।
13. बैठकों का दिनांक, स्थान व समय निर्धारित करना।
14. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन ,निलम्बन व पदोन्नति करना।
15. कर्मचारियेा का वेतन देना।
16. संस्था के हित में आकस्मिक आवश्यकता की दशा में अध्यक्ष संस्था के तरफ से कोई भी निर्णय के लिए अधिकृत होगा। इसका अनुमोदन अगली बैठक में करवाना होगा।
17. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना एवं संस्था के समस्त कागजातों पर हस्ताक्षर करना व समस्त चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना व आवश्यकता पडने पर संस्था के कार्यो /लेखों की जॉच करना व सदस्यों द्वारा गलत कार्य पर उन्हें दण्डित करना।

<u>उपाध्यक्ष</u>–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो को सम्पादित करना।

Samsher Ali
सादिक
रईसुन
Ibrahim Ali

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर
सत्यमेव जयते

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

प्रबन्धक/सचिव -

1. बैठकों का संचालन करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठकों को बुलाना व अनुमोदन करना।
4. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

उपप्रबन्धक / उपसचिव–

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो को सम्पादित करना।

कोषाध्यक्ष –

1. संस्था के आय व्यय का लेखा–जोखा रखना।
2. वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना तथा साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना
3. समस्त लेख, अभिलेख ,कैशबुक, पासबुक एवं लेजर का रख–रखाव करना।

11. **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संसोधन प्रक्रिया** –संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में किया जायेगा।

12. **संस्था का कोष** – संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा होगा, जिसे अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा ।

13. **संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)–**

संस्था के वर्ष भर के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायगा।

14. **संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व –**

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा उसके विरूद्ध होने वाले मुकदमें अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेंगे एवं समस्त मुकदमों (वादी–प्रतिवादी) की पैरवी अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

15. **संस्था के अभिलेख–**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर,
3. स्टाक रजिस्टर,
4. कैश बुक
5. सूचना रजिस्टर

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : 24/06/17

हस्ताक्षर

!! सत्य प्रतिलिपि !!

Sampher Ali
सादिक
रहिसुन
Ibrahim Ali

सत्य – प्रतिलिपि
06/07/17
सहायक रजिस्ट्रार

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता